प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक / नियो0 / 5ख(4) / 21748 / मॉडल स्कूल / 2016–17 दिनांक 07 अक्टूबर 2016

विषय : **मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक / नियो0 / 5ख(4) / 7848–50 / मॉडल स्कूल / 2016–17 दिनांक 08 जून 2016 के द्वारा राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज / राजकीय हाईस्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किये जाने हेतु शिक्षकों की पदस्थापना हेतु निर्देश दिये गये हैं। शासनादेश संख्या : 804 / XXIV–नवसृजित / 2016–02(21) / 2015 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग नवसृजित दिनांक 05 अक्टूबर 2016 के द्वारा मॉडल स्कूलों मे शिक्षकों की पदस्थापना हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः उक्त शासनादेश दिनांक 05 अक्टूबर 2016 की प्रति आपको संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में विहित व्यवस्थानुसार तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न – यथोपरि।

भवदीय
(आर0के0 कुँवर) 2016
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

1692 05/10/16 R.O.

संख्या– 804 / XXIV–नवसृजित / 2016–02(21) / 2015

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित **देहरादूनः दिनांकः 05 अक्टूबर, 2016**

विषयः– मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–369 / XXIV / नवसृजित / 2016–02(21) / 2015 दिनांक 30 मई, 2016 के प्रस्तर–ग द्वारा चयन प्रकिया निर्धारित की गई थी।

यह संज्ञान में आया है कि कट ऑफ अंक 60 प्रतिशत होने के कारण कतिपय मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना नहीं की जा सकी। अतः सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर–ग में वर्णित चयन प्रकिया में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायः–

1. निर्धारित 60 प्रतिशत कट ऑफ के नीचे भी मेरिट के आधार पर अवरोही क्रम में शिक्षकों का चयन उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक किया जाए।
2. शिक्षकों को जनपद के अन्तर्गत सभी मॉडल स्कूलों में तैनाती हेतु विचार किया जाय, किन्तु मैरिट में ऊपर आने वाले शिक्षकों को उपलब्ध रिक्तियों के लिए पहले विकल्प दिया जाए, ताकि वे अपने मनचाहे विद्यालय का पहले चयन कर सकें।
3. शासनादेश दिनांक 30 मई, 2016 के प्रस्तर–ग(1) के आधार पर जनपद स्तर पर चयनित शिक्षकों की विषयवार मैरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसे वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय। इसके साथ ही विषयवार व्यक्तियों का विवरण भी वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। चयनित शिक्षकों से मैरिट सूची के आधार पर वरीयता क्रमानुसार वेबसाईट पर प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष विकल्प माँगे जायेंगे। शिक्षकों द्वारा वांछित विकल्प के अनुरूप पद स्थापना की जायेगी।
4. जिन विद्यालयों में पूर्व से गेस्ट शिक्षक दिनांक 31.03.2017 तक कार्यरत हैं, में नव चयनित शिक्षकों द्वारा दिनांक 01.04.2017 से योगदान कराया जाए।

4/10/2016

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।